छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2026 (फाल्गुन 29, 1947)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का राज्य के राजस्व पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या–01 (निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल) पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री रिकेश सेन, सदस्य, जिला दुर्ग वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा रायपुर संभाग में अनियमितता किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री सुनील कुमार सोनी,सदस्य, रायपुर शहर में विभिन्न नये मार्गों पर सिटी बस की सुविधा प्रारंभ नहीं होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, जाति प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही परेशानी के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री सुनील कुमार सोनी,सदस्य, रायपुर नगर निगम अंतर्गत मुख्य मार्गों में अतिक्रमण एवं यातायात अवरूद्ध होने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री इन्द्रशाह मंडावी, सदस्य, जिला मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी के आदिवासी शिक्षकों को गैर आदिवासी जिलों में पदस्थ किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(7) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की जर्जर शाला भवनों की मरम्मत एवं नवीन भवन का निर्माण नहीं किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिये कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय बिलासपुर में निर्माण कार्यों की जांच में अनियमितता किये जाने की ओर पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(10) श्री प्रबोध मिंज, सदस्य, दिव्यांगजन हेतु पदों का चिन्हांकन में अनियमितता किये जाने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य,ग्राम अमाली में कोल वाशरी के स्थापना होने से क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड के ग्राम पथर्री ग्राम पंचायत पांगरीखुर्द में मुख्यमार्ग से ग्राम तक जाने के लिए पक्की सड़क का निर्माण नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चिल्हाटी में केप्टिव चूना पत्थर खदान में तेज ब्लास्टिंग एवं उत्खनन से वातावरण प्रदूषित होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, प्रदेश में आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा अनियमितता कर शासकीय राजस्व की हानि पहुंचाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) श्रीमती विद्यावती सिदार, सदस्य, अनुविभागीय अधिकारी रायपुर का विधि विरूद्ध कृत्य करने के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(16) श्रीमती कविता प्राण लहरे, सदस्य, बिलाईगढ़ वन परिक्षेत्र के धनसीर रोड स्थित रेल कॉरिडोर कक्ष क्रमांक 408 में हुई भीषण आगजनी और वित्तीय अनियमितता किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(17) सर्वश्री लखेश्वर बघेल, कवासी लखमा, विक्रम मंडावी, सदस्य, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल निर्मित होने के बाद भी बस्तर वासियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ नही मिलने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, गरीब बच्चों की शिक्षा हेतु बनायी गई आर. टी. ई. को समाप्त किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(19) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य, जिला जशपुर के विकासखण्ड दुलदुला अंतर्गत क्षतिग्रस्त नहर के जीर्णोद्वार नहीं किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) श्रीमती चातुरी नन्द, सदस्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता को अन्य विभागों में अतिरिक्त प्रभार देने के संबंध में उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(21) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य में निर्माण नियमावली के पालन नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्री ओंकार साहू, सदस्य, नगर पंचायत भखारा अंतर्गत हाट–बाजार हेतु आरक्षित शासकीय भूमि की अवैध खरीद–फरोख्त किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, प्रदेश में शासकीय विभागों के वेबसाईट अपडेट न होने पर व्याप्त समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, प्रदेश में नकली पनीर के विक्रय किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, सक्ती जिले के अंतर्गत सोन नदी और बोराई नदी से लगे ग्रामों में जलसंकट दूर करने डैम से पानी की आपूर्ति करने के लिये मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(26) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, बस्तर संभाग में शराब का अवैध विक्रय किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, कृषकों को माननीय न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश के बाद भी राशि भुगतान नही किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) श्री प्रबोध मिंज, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज विभाग के द्वारा संचालित क्रेशर प्लांट में उपयोग होने वाले चूना पत्थर के उपयोग किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(29) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–130 ए के पक्का नाली निर्माण किये जाने के संबंध में उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) श्री राजेश मूणत, सदस्य, शताब्दी नगर तेलीबांधा सामुदायिक भवन नियम विरुद्ध कब्जे की जाँच के संबंध में उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(31) श्री राजेश मूणत, सदस्य, मुक्तान्जली 1099 एम्बुलेंस योजना में आर्थिक अनियमितता किये जाने के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य, शासकीय कर्मचारियों के पीड़ित बच्चों के उपचार /थेरेपी व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश एवं मान्यता प्राप्त थेरेपी केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

क्रमशः 4

(33) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य,राजनांदगांव एवं खैरागढ़–छुईखदान–गंडई जिले मे विद्युत आपूर्ति की समस्या के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(34) श्री संदीप साहू, सदस्य, करही–चंडी लाइमस्टोन माइंस (श्री सीमेंट कंपनी / संयंत्र) द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(35) श्री संदीप साहू, सदस्य, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के अंतर्गत ग्राम खपरीडीह एवं कुम्हारी में क्रेशर चूना पत्थर के अवैध उत्खनन एवं क्रेशर संचालन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(36) सर्वश्री विक्रम मंडावी, कवासी लखमा, सदस्य, नगर पालिका परिषद सुकमा में निविदा प्रक्रिया में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(37) श्री रिकेश सेन, सदस्य, वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(38) सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, दलेश्वर साहू, सदस्य,लोक मड़ाई महोत्सव के आयोजन हेतु निर्धारित राशि प्रदान नहीं होने के संबंध में संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(39) श्री संदीप साहू, सदस्य, क्षेत्रीय विधायकों की अनुशंसा पर संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्वीकृति के संबंध में संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(40) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(41) श्री भूपेश बघेल, सदस्य, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में पदस्थ अधिकारी की फर्जी जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि होने के उपरांत भी पद पर बने रहने के संबंध में उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(42) श्री विक्रम उसेण्डी, सदस्य, जिला बालोद के गुण्डरदेही में राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा कृषक की भूमि की सीमांकन नहीं किये जाने के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(43) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, कोविड –19 के लंबित व्यय भुगतान के सम्बन्ध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(44) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, श्रमिक सहायता केन्द्र संचालन हेतु हेल्पलाईन नम्बर के निजी कंपनी द्वारा संचालित कर आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(45) श्री रामकुमार टोप्पो, सदस्य, विधानसभा सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत मानव तस्करी, गुमशुदगी और अपहरण किये जाने संबंध में उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 5

(46) श्री नीलकंठ टेकाम, सदस्य, केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर ठगी किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(47) सर्वश्री विक्रम मंडावी, कवासी लखमा, सदस्य, जिला सुकमा के छिंदगढ़ ब्लॉक में संचालित बालिका आवासीय पोटाकेबिन बालाटिकरा में मध्यान्ह भोजन पकाने के दौरान छात्राओं के झुलसने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(48) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, प्रदेश के बीज उत्पादक किसानों को उत्पादन प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किये जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(49) श्री भूपेश बघेल, डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, कोरबा जिले के ग्राम–हरदीबाजार में एस. ई.सी. एल. द्वारा भू–अधिग्रहण किसानों के मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(50) सुश्री लता उसेंडी, सदस्य, दंतेवाड़ा जिले के खनिज विभाग अंतर्गत आर्सेलर मित्तल कंपनी द्वारा वेस्ट प्रबंधन एवं ओवरलोड परिवहन किये जाने संबध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(51) सुश्री लता उसेंडी, सदस्य, कोंडागांव जिले में स्थित मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(52) सुश्री लता उसेंडी, सदस्य, कोंडागांव जिले अंतर्गत बिजली कटौती एवं लो–वोल्टेज की समस्या के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(53) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सदस्य, सारंगढ़ में फ्लाई ऐश की बिना अनुमति डंपिंग किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(54) श्री विक्रम उसेण्डी, सदस्य, जिला बस्तर के ब्लाक कोयलीबेड़ा अंतर्गत सेवा सहकारी समितियों से धान का उठाव नही होने एवं कमीशन की राशि नहीं मिलने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(55) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, प्रदेश के शासकीय सेवकों के बच्चों को ओबीसी(एनसीएल) प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने की ओर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(56) श्री मोतीलाल साहू, सदस्य, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बी.एस.यू.पी. तथा ई.डब्ल्यू.एस आवासों की जर्जर स्थिति होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(57) सुश्री लता उसेंडी, सदस्य, कोण्डागांव विधानसभा अंतर्गत घोड़ागांव जोबा समूह जल प्रदाय योजना के संबंध में उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(58) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सदस्य, जिला चिकित्सालय सारंगढ़ के सिविल सर्जन द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

क्रमशः 6

(59) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि नहीं मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(60) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, महासमुंद जिले में बीज ग्राम योजना अन्तर्गत अनियमितता किये जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(61) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, छत्तीसगढ़ प्रदेश में जैविक खेती योजना अन्तर्गत अनियमितता किये जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(62) श्री भूपेश बघेल, सदस्य,जशपुर जिले में पंजीयन के माध्यम से आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(63) श्री चैतराम अटामी, सदस्य, जिला–दन्तेवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को अभी तक पुनर्वास नहीं किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(64) श्री जनक ध्रुव, सदस्य,पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में उप अभियंताओं को नियम विरूद्व पदोन्नति किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(65) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन रायपुर के वेयर हाउस से एक्सपायरी हो रही दवाइयों का वितरण किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(66) श्री ललित चंद्राकर, सदस्य, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में कार्य के प्रति अनियमितता किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(67) श्री रामकुमार टोप्पो, सदस्य, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में शौचालय की स्थिति जर्जर होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(68) श्रीमती रायमुनी भगत, सदस्य, नगर पंचायत बगीचा अंतर्गत डोड़की नदी में कटाव रोकने हेतु गार्डवाल का निर्माण नहीं होने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(69) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सदस्य, विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़ में पीने योग्य पानी की उपलब्धता नहीं होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(70) श्री रोहित साहू, सदस्य, जतमई– घटारानी धार्मिक पर्यटन क्षेत्र जिला गरियाबंद में स्वीकृत पुलिस चौकी खोलने में विलंब होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(71) डॉ. चरणदास महंत, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, बड़े जलाशयों को सामुदायिक अधिभोग अधिकार पत्र देने के बजाय मत्स्य पालन के लिये टेंडर बुलाकर ठेके पर दिये जाने की ओर मछलीपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 7

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री पुन्नूलाल मोहले, सभापति, पी.डी.एस. के तहत् संचालित दुकानों की जांच हेतु सदन द्वारा गठित जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, जिला बिलासपुर के लोफंदी से घुटकू मार्ग पर अरपा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(2) श्री मोतीलाल साहू, सदस्य, रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) हाईस्कूल सोनडोंगरी का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) हाईस्कूल उरकुरा का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(3) श्री उमेश पटेल, सदस्य, जिला रायगढ़ अंतर्गत तारापुर से बोकरामुड़ा के मध्य माण्ड नदी पर पुल निर्माण करने,

(4) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, जिला महासमुंद अंतर्गत–

(i) सरायपाली में नालंदा लाईब्रेरी निर्माण करने,

(ii) सरायपाली में अंतर्राज्यीय बस स्टेंड निर्माण करने,

(5) श्री इन्द्रशाह मंडावी, सदस्य, विकासखण्ड अंबिकापुर अंतर्गत ग्राम कुल्हाड़ी से बलसेड़ी तक पक्की सड़क निर्माण करने,

(6) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, डोंगरगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत–

(i) ग्राम मुसरा में महिला सदन निर्माण करने,

(ii) ग्राम सेंदरी से भेलवाटोला तक पक्की सड़क निर्माण करने,

(7) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, सदस्य, सामरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नीलकंठपुर में हाई स्कूल खोलने,

(8) श्री ललित चन्द्राकर, सदस्य, दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम महमरा से गनियारी तक सड़क चौड़ीकरण एवं मरम्मत करने तथा

(ii) ग्राम बोरीगारका से कातरो तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री ओ. पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

क्रमशः 8

निर्धारित समय

30 मिनट (2) श्री ओ. पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक,2026 (क्रमांक 8 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 घंटा 30 मिनट (3) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक,2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 घंटा 30 मिनट (4) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक,2026 (क्रमांक 6 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

7. अशासकीय संकल्प

30 मिनट (1) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''प्रदेश में बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध और निष्पादन हेतु सख्त नियम बनाये जाये।''

30 मिनट (2) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''छत्तीसगढ़ राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये।''

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 19 मार्च, 2026